फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लखमा उर्फ लखमीचंद   बनाम   विपक्षी : श्रीमती झमकु बाई व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम   पत्रावली संख्या : 76/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक : 28.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता श्री मदन मेघवाल द्वारा विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 से 9 की तरफ से मुल वाद में वकालत पत्र पेश किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 4 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से कराकर रसीद व डिलिवरी सर्टिफिकेट पेश किया गया। डिलिवरी सर्टिफिकेट से विपक्षी संख्या 4 के सम्मन वाद तामिल। विपक्षी संख्या 4 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 10 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 10 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मुल वाद बंटवाडे व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 177 की आराजी नम्बर 1288 किता 1 रकबा 0.0500 है. भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] र से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 15:01:59 IST
Reason: SelfAttested